Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 114/2018

सुरेन्द्र बेनीवाल

VPO भोजासर, तहसील भादरा

जिला–हनुमानगढ़ (राज) 335501 **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,

बीकानेर **प्रत्यर्थी**

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 04.02.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 12.03.2018

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक एफ.(927)/राजुवास/रजि./आर.टी.आई./2018/04 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 12.12.2017) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को उक्त वर्णित पत्रांक 04 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा प्रत्युत्तर/सूचना प्रेषित की गई। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्रांक 04 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमशः

(2) अ-114/2018

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1.	Raj. University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner के अधीन किसी भी महाविद्यालय से द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (AHDP) के नियमित छात्र के द्वारा AHDP डिप्लोमा के साथ–साथ अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी के रूप में स्नात्तक डिग्री (B.A.) की परीक्षा देने की मान्यता संबंधी सूचना चाहिए। रेगुलर AHDP के साथ–साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नात्तक डिग्री (B.A.)करने की मान्यता की लिखित में सूचना देने का श्रम करें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि राजुवास द्वारा जारी Information Booklet and Prospectus में इस संबध में कोई प्रावधान नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्रांक 04 दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–114/18) VCS/RAJUVAS/RTI/2018/66 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया, लेकिन अपीलार्थी नियत सुनवाई दिनांक को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में अपीलार्थी/आवेदक को नियत समयावधि के भीतर स्पष्ट प्रत्युत्तर/सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तर से असन्तुष्ट होने के आधार स्पष्ट नहीं किये गये हैं व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गई।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्षय में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय के अभिलेख अनुसार स्पष्ट प्रत्युत्तर/सूचना नियत समयावधि के भीतर अपीलार्थी/आवेदक को प्रदान की जा चुकी है एवं अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदत्त सूचना से असन्तुष्ट होने के आधार/कारण भी अपील में अंकित नही किये है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचकार्थ प्रेषित की जावें।

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवंप्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर